17

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 44 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पोकर जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
2. कामिनी पुत्र विनोदकुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
3. नितिन कुमार पुत्र विनोदकुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
4. पुनित कुमार पुत्र विनोदकुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
5. प्रमोदकुमार पुत्र ओंकारमल जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
6. बैजलाल पुत्र पोकर जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
7. मुन्नी देवी पत्नि सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
8. मायादेवी पत्नि विनोदकुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
9. मालाराम पुत्र बालाराम जाति कुम्हार निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
10. रजनीदेवी पत्नि मुकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
11. रणवीरसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
12. रेनूदेवी पत्नि रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
13. राजकुमार पुत्र बल्लाराम जाति कुम्हार निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
14. राजेशकुमार पुत्र बसेसर जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
15. रामादेवी पत्नि बसेसर जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
16. लीलाराम पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
17. विनोद कुमार पुत्र ओंकारमल जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
18. शम्भूदयाल पुत्र पोकर जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
19. सपना पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।

20. सुभाष पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक –28.02.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।

(ख) अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस बोर्ड ग्रम पचायत जाखोद पर चस्पानगी से की गयी। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 18 ने स्वयं जवाब प्रस्तुत किया, प्रतिवादी संख्या 12, 19, 20 कि ओर से श्री हवासिंह एड0 ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विनोद कुमार पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ की और से श्री सोमवीर एड0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं जवाब पेश किया। श्रीमती कृष्णा पत्नी राजवीर सिंह जाति जाट निवासी बिशनपुरा जाखोद तहसील सूरजगढ़ ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं जवाब पेश किया। औमप्रकाश स्वामी पुत्र केदारमल जाति स्वामी निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़, नवरत्न पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं जवाब पेश किया। प्रेमचन्द पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार, सुशीला पत्नि प्रतापसिंह जाति कुम्हार, मालाराम पुत्र बल्लाराम जाति कुम्हार, गीता देवी पत्नि मनोज कुमार जाति कुम्हार, सुनीता देवी पत्नि प्रेमचन्द जाति कुम्हार, शिवकुमार पुत्र मुंशीसिंह जाति राजपूत, सुनिता देवी पत्नि सोमदत जाति ब्राहमण, बबीता देवी पत्नि बृजलाल शर्मा जाति ब्राहमण, रामेश्वरलाल पुत्र चन्द्रासिंह जाति कुम्हार, जयकरण पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार, गौरीशंकर पुत्र इन्द्राजसिंह जाति कुम्हार, समस्त निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़, कबूल देवी पत्नि जयचन्द जाति जाट निवासी नेतरामपुरा, अमित भालोठिया पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जीवणसर, झण्डूराम पुत्र इन्द्राज सिंह, राजकुमार पुत्र सुलतान सिंह जाति राजपूत, समस्त निवासी जाखोद, अजीत कुमार पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी चिमा का बास, गोविन्दराम पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी जाखोद, श्रीमती सुलोचना पत्नि मनफूल जाति जाट निवासी डेडा चाहर की ढाणी तन बिशनपुरा, श्रीमती सुमन पत्नि राजेश जाति जाट निवासी डेडा चाहर की ढाणी तन बिशनपुरा, कृष्ण कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी जाखोद, बिमला देवी पत्नि होशियार सिंह जाति जाट निवासी जाखोद, धनपति पत्नि गोरधन जांगिड़ निवासी जाखोद, सरिता पत्नि सोमवीर जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा, नरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी बिशनपुरा, अजीत पुत्र रोहिताश जाति कुम्हार निवासी जाखोद की और से श्री राजेश चिरानियॉं ने वकालतनाम एवं आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं जवाब पेश किया। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा, फर्द मौका।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार कर डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार कर डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 141 कुल रकबा 1.09 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों के जवाब एवं शपथ पत्र में दोष स्वीकार किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। अतः ख0न0 141 रकबा 1.09 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद में मूल खातेदारों के कब्जे काश्त की भूमि को छोड़कर शेष भूमि को राजहक में लिया जाकर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। चूँकी मूल खातेदारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः उसके कब्जे काश्त हिस्से पर बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 50 गुणा राशी तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है।

मूल खातेदारों को पाबंद भी किया जाता है कि भविष्य में बिना विहित अधिकारी/प्राधिकारी की अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का भूमि अथवा उसके भाग का अकृषि उपयोग नहीं करेगें। आदेश खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ़ स्वयं मौके पर जाकर ख0न0 141 रकबा 1.09 हैक्टर वाके ग्राम जाखोद की समस्त विधिसम्मत कार्यवाही पूर्ण कर ही उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करे।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद सं.—44 / 2021
निर्णय दिनांक :— 28.02.2022

राजस्थान सरकार **बनाम** ओमप्रकाश आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से **सरकारी पैरोकार** व प्रतिवादीगण / कब्जेधारियों की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **28**.02.2022 को **दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार कर डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 141 कुल रकबा 1.09 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों के जवाब एवं शपथ पत्र में दोष स्वीकार किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। अतः ख0न0 141 रकबा 1.09 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद में मूल खातेदारों के कब्जे काश्त की भूमि को छोड़कर शेष भूमि को राजहक में लिया जाकर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। चूँकी मूल खातेदारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः उसके कब्जे काश्त हिस्से पर बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 50 गुणा राशी तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है।

मूल खातेदारों को पाबंद भी किया जाता है कि भविष्य में बिना विहित अधिकारी/प्राधिकारी की अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का भूमि अथवा उसके भाग का अकृषि उपयोग नहीं करेगें। आदेश खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ़ स्वयं मौके पर जाकर ख0न0 141 रकबा 1.09 हैक्टर वाके ग्राम जाखोद की समस्त विधिसम्मत कार्यवाही पूर्ण कर ही उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **28-02-2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़